

20/6
23

उभय पक्ष उपस्थित पीठाधीन अधिकारी प्राथमिकीय कार्य से बाहर हो चुके हैं / परदेखा है। अतः पत्रावली दिनांक 31-8-23 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

31/8
23

उभय पक्ष उपस्थित पीठाधीन अधिकारी प्राथमिकीय कार्य से बाहर हो चुके हैं / परदेखा है। अतः पत्रावली दिनांक 29-9-23 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

9
23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थान / अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 5/10/23 को पेश हो।

5-10-23 पत्रावली पेश हुई वकील माथी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मेलन बाद वाकिल छोकर सात हुए जिसे शाठ पत्र छिये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कक-कक कर आयाते डिलाफी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके खिस्त एक तरफा कार्यवाही छिये जाने के आदेश दिये जाते थे वकील माथी का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर लिखित सूचना से लिखा जाकर शाठ पत्र किया गया। पत्रावली फैलल शुभ होकर मम्बर से कम थे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला मालवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी-हुकमीचन्द्र रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 125/23 प्रा०५५

1- श्री किशनलाल शिवाजी श्री धनरुप जांगिड गिवासी-गणेशपुरा त० गाडल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती छैदानदेवी लक्ष्मी उगमलाल जाट गिवासी-गणेशपुरा त० गाडल (सर्गरी)
(सुविक्रित गणपगसलंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि, 1956

दिनांक:- 5-10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० सुविक्रित सिद्धोपदे कुल किता 09 रकबा 2-8074 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादीयेवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05-06-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अदलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न० 1033, 1034, 1040, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1122 कुल किता 09 रकबा 2-8074 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टी जानकारा किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गणेशपुरा को 1500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा